न्यायालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं विहित प्राधिकारी बुरहानपुर

10

प्रकरण क्रमांक 00/सी–145/2017–18 दिनांक 06.07.2017

म.प्र. शासन (मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर)

विरुध्द

श्री पंडित पाटील, सरपंच ग्राम पंचायत टिटगांवकला,

(पारित आदेश दिनांक 29.11.2017)

श्री राजू पिता फकीरा ग्राम पंचायत टिटगांवकला द्वारा ग्राम पंचायत टिटगांवकला के पुलिया निर्माण का कार्य घटिया होने संबंधी शिकायत दिनांक 02.07.2016 को की गई।

बीआरजीएफ योजना के तहत पुलिया निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृती ग्राम पंचायत टिटगांवकला के आदेश कमांक 51 दिनांक 27.11.2014 द्वारा जारी की गई है।
पुलिया निर्माण कार्य लागत 5.00 लाख रू. को दिनांक 01.03.2016 को ग्राम पंचायत द्वारा पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बुरहानपुर का पत्र कमांक 2312/टीएल/शिकायत/2016 दिनांक 05.11.2016 द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि पुलिया निर्माण की जांच सहायक यंत्री द्वारा दिनांक 02.11.2016 को कराई गई है शिकायत असत्य पाई गई। नव निर्मित पुलिया पर से आवागमन किया जा रहा है।

श्री एच.के. तिवारी सहायक यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा बुरहानपुर द्वारा दिनांक 20.12.2016 को जांच कर दिनांक 17.01.2017 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। जांच प्रतिवेदन में अवगत कराया गयाा है कि पुलिया के स्लेप के नीचे के सरीये दिख रहे है।

भविष्य में ये पुलिया क्षतिग्रस्त हो सकती है। पुलिया के पास मुरम/गिटटी का भराव औचित्यहीन है। जांच प्रतवेदन के अनुसार 35338/– रू की वसूली योग्य राशि अंकित की गई है।

सरपंच/सचिव द्वारा प्रस्तुत बयान में बताया गया कि पुलिया निर्माण के कुछ दिन बाद ही ग्रामवालों ने पुलिया को क्षति पहुचाई गई, पंचायत द्वारा पुलिया का पुनः सुधार कार्य किया गया, वर्तमान में पुलिया का आवागमन हो रहा है।

उपयंत्री द्वारा दिनांक 24.12.2016 को प्रस्तुत कथन में अवगत कराया गया कि पुलिया का स्लेप डाले जाने के बाद गांव के कुछ लोगो ने उसे क्षति पहुचाई गई। पंचायत द्वारा पुलिया का पुनः स्लेप डाला गया। पुलिया आवागमन के योग्य है और आवागमन चल रहा है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के पत्र कमांक 01 जनपद पंचायत/शिकायत/2016 दिनांक 09.06.2017 द्वारा अवगत कराया गया कि वसूली योग्य राशि 35338/–रू. श्री पंडित पाटिल सरपंच द्वारा 11338/–, प्रमोद काशिनाथ महाजन द्वारा 12000/–रू, श्री माखनलाल अहिरवार द्वारा 12000/–रू नगद जमा किए गए इस प्रकार वसूली योग्य राशि पूर्ण जमा की गई।

प्रकरण के संबंध में दिनांक 25.09.2017 को प्रकरण के संबंध में सुनवाई की गई। सुनवाई के समय श्री पंडित पाटील सरपंच टिटगांवकला द्वारा कथन प्रस्तुत किया गया कि पुलिया का निर्माण कार्य कुछ दिन बाद शिकायतकर्ता एवं अन्य ग्राम के लोगों द्वारा पुलिया में तोडफोड की गई, तथा सरपंच के साथ गाली गलौच, मारपीट की गई जिसके संबंध में सरपंच द्वारा दिनांक 02.03.2016 को पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई।

ग्राम पंचायत, टिटगांवकला श्री राजू पिता फकिरा द्वारा दिनांक 02.07.2016 को ग्राम पंचायत, टिटगांवकला के द्वारा बीआरजीएफ योजनांतर्गत घटिया पुलियॉ निर्माण कार्य किये जाने की शिकायत दिनांक 02.7.2016 को की गई थी।

शिकायत की जांच उपरांत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, बुरहानपुर के पत्र कमांक 2312/शिका./टीएल/2016 दिनांक 05.11.2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया कि सहायक यंत्री मनरेगा के निरीक्षण मे पुलियॉ निर्माण की गुणवत्ता ठीक पाई गई है। एवं शिकायत असत्य होना प्रतिवेदित किया गया है।

शिकायतकर्ता श्री राजू पिता फकिरा द्वारा दिनांक 25.11.2016 को पुनः शिकायत प्रस्तुत कि है। जिसमे सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत द्वारा शिकायत के साक्ष्य मिटाने हेतु दिनांक 22.06.2016 को पुलियॉ की मरम्मत किये जाने का एवं शिकायत वापस लेने हेतु दबाव/प्रलोभन बाबत् लेख किया है। उक्त स्थिति मे शिकायत की पुनः जांच उपरांत कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवाऐं, बुरहानपुर के पत्र कमांक 99 दिनांक 17.01.2017 के द्वारा प्राप्त हुआ जिसमें एच के तिवारी सहायक यंत्री के प्रतिवेदन अनुसार पुलियॉ के स्लेब मे, कांकीट कार्य एवं मुरम मिटटी भराव को अमान्य करते हुए रूपयें 35338/– की वसूली सरपंच/सचिव एवं उपयंत्री से संयुक्त रूप से किये जाने का लेख किया गया ।

उक्त शिकायत पर म.प्र. पंचायतराज एव ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 40 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर सरपंच/सचिव एवं उपयंत्री को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किये गये।

सरपंच द्वारा अपने उत्तर मे बताया गया कि पुलियॉ निर्माण के कुछ दिनों बाद ही कुछ ग्रामीणों द्वारा पुलियॉ को क्षतिग्रस्त किया गया था। जिसके विरूध्द पुलिस को भी सूचना दी गई थी। ग्राम पंचायत द्वारा पुलियॉ का पुनः सुधार कार्य किया गया। एवं वर्तमान मे पुलियॉ का आवागमन हेतु उपयोग हो रहा है। उनके द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता नही की गई है।

प्रकरण मे सहायक यंत्री श्री एच. के तिवारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया । जिसमे स्पष्ट किया गया है कि पुलियॉ के बाक्स के नीचे स्लेब का सरिया दिखाई दे रहा है। जिससे भविष्य मे पुलियॉ का स्लेब क्षतिग्रस्त हो सकता है। अतः स्लेब पर व्यय राशि रूपयें 31987/– वसूली योग्य है। साथ ही मापपुस्तिका के पृष्ठ 38 पर मुरम मिटटी भराव हेतु व्यय राशि रूपयें 3351/– का कोई औचित्य नही है। यह राशि भी वसूली योग्य है। इस प्रकार कुल राशि रूपयें 35338/– सरपंच/सचिव एवं उपयंत्री से संयुक्त रूप से वसूली किये जाने का लेख किया गया है।

सहायक यंत्री श्री तिवारी के प्रतिवेदन के आधार पर सरपंच सचिव उपयंत्री द्वारा प्रस्तुत उत्तर मान्य योग्य नही है। एवं प्रकरण मे उक्त अनुसार रू. 35338/– की अनियमितता होना पाया जाता है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, बुरहानपुर के पत्र कमांक 1/2016 दिनांक 09.06.2017 द्वारा अवगत कराया गया है कि गाम पंचायत टिटगांवकला के सरपंच श्री पंडित पाटिल, सचिव श्री प्रमोद काशीनाथ महाजन एवं उपयंत्री श्री माखनलाल अहिरवार द्वारा उक्त वसूली योग्य राशि रू. 35338/– जनपद पंचायत मे योजना खाते मे जमा कराई जा चुकी है। अतः जांचकर्ता द्वारा प्रतिवेदित वसूली योग्य राशि जमा हो जाने से प्रकरण मे वित्तीय हानि की स्थिति शेष नही है।

C:\Users\Sai\Desktop\Prakosht letter.doc5

जांचकर्ता अधिकारी सहायक यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा बुरहानपुर द्वारा पुलिया के पास मुरम/गिटटी का भराव औचित्यहीन होने से राशि 35338/- रू की वसूली योग्य दर्शायी गई है, जो कि संबंधितों से वसूल की गई, निर्माण कार्य में तकनिकी त्रुटी के कारण अनावश्यक राशि व्यय होना पाया गया है।

उक्त प्रकरण में गुणदोष के आधार पर परीक्षण करने पर निर्माण कार्य में औचित्यहीन व्यय हेतु तकनिकी अधिकारी श्री माखनलाल अहिरवार, उपयंत्री मनरेगा का दायित्व निर्धारण किया जाता है, तथा कार्य के क्रियान्वयन में तत्कालिन सचिव, श्री प्रमोद महाजन ग्राम पंचायत टिटगांवकला द्वारा लापरवाही की गई है एवं सरपंच श्री पंडित पाटील का उपरोक्त प्रकरण में कोई भागीदारी नही पाई गई है।

अतः श्री माखनलाल अहिरवार, उपयंत्री मनरेगा द्वारा अपने दायित्व का निर्वहन न करते हुये शासन की अनावश्यक राशि का अपव्यय किये जाने के कारण संविदा सेवा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

श्री प्रमोद महाजन, तत्का. सचिव ग्राम पंचायत टिटगांवकला द्वारा अपने कर्तव्य निवर्हन में की गई लापरवाही के लिये एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकि जाती है।

सरपंच श्री पंडित पाटील ग्राम पंचायत टिटगांवकला को भविष्य में सजगता से कार्य किये जाने की चेतावनी के साथ प्रकरण निराकरण किया जाता है।

आदेश खुले न्यायालय में पारित एवं उद्घोषित किया गया।

विहित प्राधिकारी
एवं
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बुरहानपुर

5889
20/11/17

प्रतिलिपि,

1. जिला पंचायतराज अधिकारी, जिला पंचायत बुरहानपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बुरहानपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. सरपंच ग्राम पंचायत टिटगांवकला।
4. श्री माखनलाल अहिरवार, तत्का. उपयंत्री मनरेगा जनपद पंचायत बुरहानपुर।
5. श्री प्रमोद महाजन, तत्का. सचिव ग्राम पंचायत टिटगांवकला।

की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

विहित प्राधिकारी
एवं
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पचायत बुरहानपुर